षष्ठम् माला, खंड 2, अंक 1, शनिवार, 11 जून, 1977/ 21 ज्येष्ठ,, 1899 (शक)
Sixth Series, Vol. II, No. 1, June, Saturday 11, 1977/ Jaistha 21, 1899 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

Preservation Cell
Dt. 18-9-92
Parliament Library

[दूसरा सत्र
Second Session]

6th Lok Sabha

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 105 (2)
Date 15-12-77

[खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. II. contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/ CONTENTS

खण्ड 2 अंक 1, शनिवार, 11 जून, 1977/21 ज्येष्ठ, 1899 (शक)

Vol. 2 *No.* 1 *Saturday, June* 11, 1977/*Jaishtha* 21, 1899 (*Saka*)

विषय	*Subject*	
लोक सभा के लिये निर्वाचित सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची	Alphabetical list of Members .	13
सभा के अधिकारी	Officers of the House . .	14
मंत्रिमंडल के सदस्यों की सूची	List of Members of Cabinet	15
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण (श्री ए० इ० टी० बैरो)	Member sworn . . . . (Shri A.E.T. Barrow)	16
निधन संबंधी उल्लेख	Obituary References . . .	16—20
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	21—27
30-5-77 को गाड़ी संख्या 13 अप तेजपुर एक्प्रेस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बारे में एक वक्तव्य प्रो० मधु दण्डवते	Statement Re. Accident to Train No. 13 U.P. Tazpur Express on 30-5-77 . . Prof. Madhu Dandavate	28—34
अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) संशोधन विधेयक--पुर: स्थापित	Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Amendment Bill—introduced . .	35—36
अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) संशोधन अध्यादेश के बारे में विवरण श्री एच० एम० पटेल	Statement Re. Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Amendment Ordinance . Shri H. M. Patel	36
रेल बजट, 1977-78—प्रस्तुत प्रो० मधु दण्डवते	Railway Budget, 1977-78—presented . . Prof. Madhu Dandavate	37—49

लोक सभा वाद विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)

LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक सभा

LOK SABHA

शनिवार, 11 जून 1977/21 ज्येष्ठ 1899 (शक)

Saturday, 11 June 1977/ Jyaistha 21, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair.]

षष्टम् लोक सभा

आंकनीडु, श्री मागन्ति (मछलीपटनम)
अंसारी श्री फकीर अली (मिर्जापुर)
अकबर जहान बेगम, श्रीमती (श्रीनगर)
अग्रवाल, श्री सतीश (जयपुर)
अर्गल, श्री छबीराम (मुरैना)
अधन सिंह, श्री (कांकेर)
अनबालगमन, श्री सी० (रामनाथपुरम)
अनानथन, श्री कुमारी (नागरकोइल)
अप्पालानायडु, श्री एस० आर० ए० एस० (अनकापल्ली)
अब्दुल लतीफ, श्री (नालांगोड़ा)
अमाट, श्री डी० (सुन्दरगढ़)
अमीन प्रो० आर० के० (सुरेन्द्र नगर)
अरुणाचलम, श्री एन० (टेनकासी)
अरुणाचलम, श्री वी० (तिरुनलवेली)
अलगेसन, श्री ओ० वी० (अर्कोनम)
अलहाज, श्री एम० ए० हनान (बसीरहाट)
अल्लूरी, श्री सुभाषचन्द्र बोस (नरसापुर)
अवारी, श्री गेव० मनचारशा (नागपुर)
अशोकराज श्री ए० (परेम्बलूर)
असाइथाम्बी, श्री ए० वी० पी० (मद्रास उत्तर)
अहमद, श्री हलीमउद्दीन (किनशगंज)
अहमद हुसैन श्री (धुबरी)
अहसान जाफरी, श्री (अहमदाबाद)

आरिफ बेग, श्री (भोपाल)
आश्टन, डा० हेनरी (एरनाकुलम)
आहूजा, श्री सुभाष (बेतल)

इ

इन्द्र सिंह, श्री (हिसार)

उ

उग्रसेन, श्री (देवरिया)
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बड़ागारा)

ए

एंगती श्री बीरेन सिंह (स्वायत शासी जिले)
एलनचेजियन, श्री बी०एस० (पुडुक्कोट्टाई)

ओ

ओंकार सिंह श्री (बदायूं)
ओरांव, श्री लालू (लोहरडगा)

क

कछवाय, श्री हुकम चन्द (उज्जैन)
कदम, श्री बी० पी० (कनारा)
कन्नान, श्री पी० (सेलम)
कर्पूरी ठाकुर, श्री (समस्तीपुर)
कपूर, श्री एल० एल० (पूर्णिया)
कर्ण सिंह डा० (ऊधमपुर)
कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरुचिरापल्लि)
कृष्ण कान्त, श्री (चण्डीगढ़)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णन्, श्रीमती पार्वती (कोयम्बटूर)
कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (चिकबल्लापुर)
काकाडे, श्री सम्भाजीराव (बारामती)
कडन्नापल्ली, श्री राम चन्द्रन (कासरगोड)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
कामथ, श्री हरि विष्णु (होशंगाबाद)
काम्बले, श्री बी० सी० (बम्बई दक्षिण केन्द्रीय)
कार, श्री सरत (कटक)
कालदत्ते, डा० बापू (औरंगाबाद)
कासर, श्री अमृत (पणजी)
किशोर लाल, श्री (पूर्व दिल्ली)
किस्कू, श्री जदुनाथ (झाड़ग्राम)
कुन्हम्बू, श्री के० (ओटापालम)
कुन्डु, श्री समरेन्द्र (बालासोर)
कुरील, श्री आर० एल० (मोहनलालगंज)
कुरील, श्री ज्वाला प्रसाद (घाटमपुर)
कुरेशी, श्री मोहम्मद शफी (अनंतनाग)
कुशवाहा, श्री राम नरेश (सलेमपुर)
केशरवानी, श्री एन० पी० (बिलासपुर)
कैलाश प्रकाश, श्री (मेरठ)
कोट्राशेटी, श्री ए० के० (बेलगाम)
कोडियान, श्री पी० के० (अडूर)
कोलनथाइवेलू, श्री आर० (तिरुचेंगोडे
कोलूर, श्री राजशेखर (रायचूर)
कोसालराम, श्री के० टी० (तिरुचेंडूर
कोशिक, श्री पुरुषोत्तम (रायपुर)
क्षेत्री, श्री छत्रबहादुर (सिक्किम)

ख

खरौम, रिनचिंग खाण्ड (अरुणाचल–पश्चिम
खां, श्री इस्माइल हुसैन (बारपेटा)
खां, महमूद अली (हापुड़)
खां, श्री गुलाम मोहम्मद (मुरादाबाद
खां, श्री महमूद हसन (बुलन्दशहर)
खां, श्री मोहमद शमसुल हसन (पीलीभीत
खालसा, श्री बसन्त सिंह (रोपड़)

ग

गंगा भक्त सिंह, श्री (शाहाबाद)
गवई, श्री डी० जी० (बुलडाना)
गट्टानी, श्री आर० डी० (जोधपुर)
गामित, श्री छीतुभाई (माण्डवी)
गायकवाड, श्री एफ० पी० (बड़ौदा)
गिरजानन्द सिंह, श्री (शिवहर)
गुप्ता, श्री कंवर लाल (दिल्ली सदर
गुप्ता, श्री श्याम सुन्दर (बाढ़)
गुलशन, श्री धन्ना सिंह (भटिंडा)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गोगाई, श्री तरुण (जोरहाट)
गोडे, श्री सन्तोषराव (वर्धा)
गोपाल, श्री के० (करुर)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोरे, श्रीमती मृणाल (बम्बई––उत्तर
गोटखिंडे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)

गोयल, श्री कृष्ण कुमार (कोटा)
गोविन्द जी बाला; श्री परमानन्द (खंडवा)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गौडा, श्री एस० ननजेश (हसन)
गौंडर, श्री वेणुगोपाल (वान्डी-वारा)
घोषाल, श्री सुधीर (मिदनापुर)

च

चक्रवती, प्रो० दिलीप (कल्कत्ता--दक्षिण)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (जादवपुर)
चतुर्भुज, श्री (झालावाड़)
चतुर्वेदी, श्री शम्भूनाथ (आगरा)
चन्द्र गौडा, श्री (चिकमगलूर)
चन्दन सिंह, श्री (कैराना)
चन्द्रपाल सिंह, श्री (अमरोहा)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (कन्नौनोर)
चन्द्रशेखर, श्री (बलिया)
चन्द्रशेखर सिंह, श्री (वाराणसी)
चन्द्रावती, श्रीमती (भिवानी)
चरण नरजरी, श्री (कोकरा झार)
चरण सिंह, चौधरी (बागपत)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चव्हाण, श्रीमती पी० (कराड)
चांदराम, श्री (सिरसा)
चावडा, श्री के० एस० (पाटन)
चिक्कलिंगैया, श्री के० (माण्डया)
चुन्दर, डा० प्रताप चन्द्र (कलकत्ता-उत्तर पूर्व)
चैतरी, श्री के० बी० (दार्जिलिंग)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री के० बी० (बीजापुर)
चौधरी, श्री त्रिदिब (बरहामपुर)
चौधरी, श्री मोतीभाई आर० (बनासकांठा)
चौधरी, श्रीमती रशीदाहक (सिलचर)
चौधरी, श्री रुद्रसेन (केसरगंज)
चौहान, श्री बेगाराम (गंगानगर)
चौहान, श्री नवाब सिंह (अलीगढ़)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

ज

जगजीवनराम, श्री (सासाराम)
जगन्नाथन, श्री एस० (श्रीपेरम्बुडुर)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकासी)
जसरोया, ठाकुर बलदेव सिंह (जम्मू)
जार्ज, श्री एस० सी० (मुकुन्दपुरम)
जाफ़र शरीफ, श्री सी० के० (बंगलौर-उत्तर)
जावदे, श्री श्रीधर (यवतमाल)
जुल्फीकार उल्ला, श्री (सुल्तानपुर)
जेठमलानी, श्री राम (बम्बई उत्तर-पश्चिम)
जैन, श्री कचरुलाल हेमराज (बालाघाट)
जैन, श्री कल्याण (इन्दौर)
जैन, श्री निर्मल चन्द (सिवनी)
जैन, श्री मोहन (दुर्ग)
जैसवाल, श्री अनन्त राम (फैजाबाद)
जोरदर, श्री दिनेश चन्दर (माल्डा)
जोशी, डा० मुरली मनोहर (उल्मोडा)

ट

टिरके, श्री पियस (अलीपुर द्वार)
टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मणिपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव (चिमूर)

ड

डान, श्री राज कृष्ण (वर्दवान)
डोले, श्री एल० के० (लखिमपुर)
डामोर, श्री सोमजीभाई (दोहद)

डिगाल, श्री बाटचा (फूलवनी)

ढ

ढिल्लों, श्री इकबाल सिंह (जालन्धर)

त

तन सिंह, श्री (बाड़मेर)

तलवंडी, श्री जगदेव सिंह (लुधियाना)

तिवारी, श्री द्वारिका नाथ (गोपालगंज)

तिवारी, श्री बृज भूषण (खलीलाबाद)

तिवारी, श्री मदन (राजनंदगांव)

तिवारी, श्री रामानन्द (बक्सर)

तुड़, श्री मोहन सिंह (तरन तारन)

तुलसीराम, श्री वी० (पैड्डापल्ली)

तोहड़ा, श्री जी० एस० (पटियाला)

तेज प्रताप सिंह, श्री (हमीरपुर)

त्यागी, श्री ओम प्रकाश (बहराइच)

त्रिपाठी, श्री माधव प्रसाद (डुमरिया गंज)

त्रिपाठी, श्री राम प्रकाश (कन्नौज)

थ

थामस, श्री स्कारिया (कोट्टायन)

थोरट, श्री भानसाहेब (पंढरपुर)

थ्यागराजन् श्री पी० (शिवगंगा)

द

दंडवते, प्रो० मधु (राजापुर)

दण्डबुतपाणि, श्री वी० (बेल्लोर)

दत्त, श्री अशोक कृष्ण (डमडम)

दवे, श्री अनन्त (कच्छ)

दानवे, श्री पुण्डलीक हरि (जालना)

दाभी, श्री अजीत सिंह (आनन्द)

दामानी, श्री एस० आर० (शोलापुर)

दास, श्री आर० पी० (कृशनगर)

दास, श्री श्याम सुन्दर (सीतामढ़ी)

दास गुप्ता, श्री के० एन० (जलपाइगुड़ी)

दासप्पा, श्री तुलसीराम (मैसूर)

दिग्विजय नारायण सिंह, श्री (वैशाली)

दुर्गाचन्द, कंवर (कांगडा)

देशमुख, श्री नानाजी (बलरामपुर)

देशमुख, श्री राम प्रसाद (हाथरस)

देशमुख, श्री शेशराव (परभनी)

देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)

देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)

देसाई, श्री दाजीबा (कोलहापुर)

देसाई, श्री हितेन्द्र (गोधरा)

देवराजन, श्री वी० (रसिपुरम)

देव, श्री वी० किशोर चन्द्र (पार्वतीपुरम)

देब, श्री पी० के० (कालाहांडी)

ध

धारा, श्री सुशील (तामलुक)

धारिया, श्री मोहन (पुउजे)

धुर्वे, श्री श्यामलाल (मांडला)

धोंडगे, श्री केशवराव (नान्देड)

न

नत्थू सिंह, श्री (दौसा)

नथवानी, श्री नरेन्द्र पी० (जूनागढ़)

नथुनी राम, श्री (नवादा)

नरेन्द्र सिंह श्री (दमोह)

नाहाटा, श्री अमृत (पाली)

नायक, श्री लक्ष्मीनारायण (खजुराहो)

नायक, श्री एस० एच० (नन्दुरबार)

नायक, श्री वी० पी० (वाशिप)

नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)

नायक श्री बी० के० (मवेलीकारा)

नायर, डा० सुशीला (झांसी)

नारायण, श्री के० एस० (हैदराबाद)

नाहर, श्री विजय सिंह (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)

नायर, श्री एम० एन० गोविन्दन (त्रिवेन्द्रम)

नायडु, श्री पी० राजगोपाल (चित्तुर)

नेगी, श्री टी० एस० (टिहरी गढ़वाल)

प

पंडित, डा० वसन्त कुमार (राजगढ़)

पटनायक, श्री बीजू (केन्द्रपाड़ा)

पटनायक, श्री शिवाजी (भुवनेश्वर)

पटवारी, श्री एच० एल० (मंगलदाई)

पटेल, श्री अहमद एम० (भड़ोच)

पटेल, श्री आर० आर० (दादरा और नागर हवेली)

पटेल, श्री एच० एम० (साबरकंठा)

पटेल, कुमारी मणिबेन वल्लभभाई (मेहसाना)

पटेल, श्री द्वारकादास (अमरेली)

पटेल, श्री धर्मसिंह भाई (पोरबन्दर)

पटेल, श्री नानुभाई एन० (बुलसार)

पटेल, श्री मीठा लाल (सवाई माधोपुर)

परमार, श्री नटवरलाल (ढुढुका)

परमाई लाल, श्री (हरदोई)

परस्ते, श्री दलपत सिंह (शहडोल)

परुलेकर, श्री बापुसाहिब (रत्नागिरि)

पांडे, श्री अम्बिका प्रसाद (बांदा)

पांडेय, डा० लक्ष्मी नारायण (मन्दसौर)

पाई० श्री टी० ए० (उदीपी)

पाजानौर, श्री ए० बाला (पांडिचेरी)

पाटिल, श्री एस० बी० (बागलकोट)

पाटिल, श्री चन्द्रकान्त (हिंगोली)

पाटिल, श्री डी० बी० (कोलाबा)

पाटिल, श्री बालासाहिब विखे (कोपरगांव)

पाटिल, श्री यू० एस० (लाटुर)

पाटिल, श्री विजय कुमार (धुलिया)

पाटिल, श्री सोन सिंह (इरन्दोल)

पाटीदार, श्री रामेश्वर (खरगोन)

पासवान, श्री राम बिलास (हाजीपुर)

पार्थसारथी, श्री पी० (राजमपेट)

पिपिल, श्री मोहन लाल (खुर्जा)

पुजारी, श्री जर्नादन (मंगलौर)

पुल्लय्या श्री दारूर (अनन्तपुर)

पेरटिन, श्री बकिन (अरुणाचल पूर्व)

पेरियासामी, श्री वी० (कृष्णगिरी)

प्रधान, श्री अमर नाथ (कूचबिहार)

प्रधान, श्री गणनाथ (सम्बलपुर)

प्रधान, श्री पवित्र मोहन (देवगढ़)

प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)

फ

फजलुर रहमान, श्री (बेतिया)

फलैइरी एडुआर्जी, श्री (मारमोगोआ)

फर्नांडिस, श्री जार्ज (मुजफ्फरपुर)

फिरंगी प्रसाद, श्री (बासगांव)

ब

बघेला, श्री शंकरजी (कपाडनंज)

बटेश्वर हेमराज, श्री (दुमका)

बद्रीनारायण, श्री ए० आर० (शिमोगा)

बनतवाला, श्री जी० एम० (पोन्नानी)

बरकटकी, श्रीमती रेंनुकादेवी (गोहाटी)

बरनाला, श्री सुरजीत सिंह (संगरुर)

बरवे, श्री जे० सी० (रामटेक)

बर्मन, श्री किरित बिक्रमदेव (त्रिपुरा)

बर्मन, श्री पालस (बालूरधाट)

बरुआ, श्री देवकान्त (नवगांव)

बरुआ, श्री वेदव्रत (कलियाबोर)
बलदेव प्रकाश, डा० (अमृतसर)
बलवीर सिंह, चौधरी (होशियारपुर)
बशीर अहमद, श्री (फतेहपुर)
बहुगुणा, श्री एच० एन० (लखनऊ)
बहुगुणा, श्रीमती कमला (फूलपुर)
बसप्पा, श्री कोंडाजी (दावन्गेरे)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसु, श्री धीरेन्द्र नाथ (कटवा)
बागड़ी, श्री मनीराम (मथुरा)
बागुन, सुम्बरुई, श्री (सिंहभूम)
बादल, श्री प्रकाश सिंह (फरीदकोट)
बाल, श्री प्रद्युमन किशोर (जगतसिंहपुर)
बालकराम, श्री (शिमला)
बालकृष्णाय्या, श्री टी० (तिरुपथी)
बासु, श्री चित्त (बारासत)
बीरेन्द्र प्रसाद, श्री (नालन्दा)
बुरांडे, श्री गंगाधर अप्पा (भिर)
बैरागी, श्री जेना (भद्रक)
बैरो, श्री ए० ई० टी० (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
बेरवा, श्री रामकंवर (टोंक)
बोडे, श्री नानासाहिब (अमरावती)
बोड्डेपल्ली, श्री राजगोपालराव (श्री काकुलम)
बोरोले, श्री यशवन्त (जलगांव)
ब्रजराज सिंह, श्री (आंवला)
ब्रह्म प्रकाश चौधरी, (बाह्य दिल्ली)

भ

भवर, श्री भागीरथ (झबुआ)
भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)
भगतराम, श्री (फिलौर)
भट्टाचार्य, श्री दिनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री श्यामा प्रसन्ना (उलुबेरिया)
भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा)
भारत भूषण, श्री (नैनीताल)
भीमदेव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (कुड्डलोर)

म

मक्कासर, चौधरी हरी राम (बीकानेर)
मंगलदेव, श्री (अकबरपुर)
मंडल, श्री धनिक लाल (झंझारपुर)
मंडल, श्री मुकुन्द (मथुरापुर)
मंडल, डा० विजय (बंकुरा)
मंडल, श्री बी० पी० (माधेपुर)
मकन्द, श्री रघुवीर सिंह (भिण्ड)
मनहरलाल श्री (कानपुर)
मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (सोनीपत)
मल्लिक, श्री रामचन्द्र (जाजपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मल्होत्रा, श्री विजय कुमार (दक्षिण दिल्ली)
महाटा, श्री सी० आर० (पुरुलिया)
महाले, श्री के० एल० (झुन्झुन)
महाले, श्री हरि शंकर (मालेगांव)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़उत्तर)
महीला, श्री (बिजनौर)
मागर, श्री अन्नासाहेब (खेड)
मालेवर, श्री के० (डिंडीगुल)
माथुर, श्री जगदीश प्रसाद (सीकर)
मानकर, श्री लक्ष्मण राव (भंडारा)
माने, श्री शंकर राव (इचलकरांजी)
मालन्ना, श्री के० (चित्रदुर्ग)

मावलंकर, प्रो० पी० जी० (गांधीनगर)

मिर्जा, श्री सैयद काजिम अली (मुर्शिदाबाद)

मिर्धा, श्री नाथुराम (नागौर)

मिरी, श्री गोबिन्द राम (सारगढ़)

मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहाबाद)

मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)

मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगुसराय)

मुखर्जी, श्री समर (हाडड़ा)

मुण्डा, श्री गोविन्द (क्योंझर)

मुण्डा श्री कड़िया (खूटी)

मुरमू, फादर एन्थनी (राजमहल)

मुराहरी श्री गोड (बिजयवाड़ा)

मुरुगाइयन, श्री एस० जी० (नागापट्टानम)

मुरुगेसन, श्री ए० (चिदम्बरम)

मुल्तान सिंह, चौधरी (जालेसर)

मूर्ति, श्री के० के० (आमलापुरम)

मूर्ति, श्री वी० चन्द्रशेखर (कनकपुर)

महालगी, श्री आर० के० (थाना)

मेदूरी, श्री नागेश्वरवराव (तेनाली)

मेहता, श्री प्रसन्न भाई (भावनगर)

मैती, कुमारी आभा (पंसकुरा)

मैथ्यू, श्री जार्ज (मुवत्तुपुन्जा)

मोहनरंगम, श्री आर० (चिंगलपट्ट)

मोदक, श्री विजय (हुगली)

मोहम्मद हयात अली, श्री (रायगंज)

मोहसिन, श्री एफ० एच० (धारवाड़ दक्षिण)

य

यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद (गोड्डा)

यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (खगरिया)

यादव, श्री नर सिंह (चन्दौली)

यादव, श्री रामजी लाल (अलवर)

यादव, श्री राम नरेश (आजमगढ़)

यादव, श्री रूप नाथ सिंह (प्रतापगढ़)

यादव, श्री विनायक प्रसाद (सहराना)

यादव, श्री शरद (जबलपुर)

यादव, श्री हुकम देव नारायण (मधुबनी)

यदवेन्द्र, श्री (जौनपुर)

युवराज, श्री (कटिहार)

र

रघबीर सिंह, श्री (कुरुक्षेत्र)

रघ रामैया, श्री के० (गुंटूर)

रथ, श्री रामचन्द्र (आस्का)

रणजीत सिंह, श्री (हमीरपुर)

रवि, श्री वयालार (चिरायिनकिल)

रवीन्द्र प्रताप सिंह, श्री (अमेठी)

रशीद मसूद, श्री काजी (सहारनपुर)

रांगनेकर, श्रीमती अहिल्या पी० (बम्बई उत्तर केन्द्रीय)

राकेश, श्री आर० एन० (चैल)

राघव, जी० श्री (विदिशा)

राघवन्द्र सिंह, श्री (उन्नाव)

राचैया, श्री बी० (धामराजनगर)

राज केशर सिंह, श्री (मछली शहर)

राजदा, श्री रत्न सिंह (बम्बई दक्षिण)

राजन, श्री के० ए० (त्रिचूर)

राजनारायण, श्री (राय बरेली)

राजू, श्री के० ए० (पोलाची)

राजू, श्री पी० वी० जी० (बोब्बिली)

राठवा, श्री अमर सिंह भाई (छोटा उदयपुर)

राठोर, डा० भगवान दास (हरिद्वार)

राम अवधेशी सिंह, श्री (विक्रमगंज)

राम, श्री आर० डी० (पालामऊ)
राम किंकर, श्री (बाराबंकी)
रामकिशन, श्री (भरतपुर)
राम गोपाल सिंह, चौधरी (बिल्लौर)
रामचन्द्रन, श्री पी० (मद्रास केन्द्रीय)
रामचरण, श्री (जालौन)
रामजी सिंह, डा० (भागलपुर)
रामधन, श्री (लालगंज)
रामजीवन सिंह, श्री (बलिया)
रामदास सिंह, श्री (गिरीडीह)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
रामपति सिंह, श्री (मोतिहारी)
राम मूर्ति, श्री (बरेली)
राममूर्ति, श्री के० (धर्मपुरी)
रामलिंगम, श्री एन० (मयूरम)
रामलिंगम, श्री पी० एस० (नीलगिरि)
राम सागर, श्री (सैदपुर)
रामस्वामी, श्री के० एस० (गोबिचेट्टिपालयम)
रामस्वामी, श्री एस० (पेरियाकुलम)
राय, डा० ए० के० (धनबाद)
राय, श्री गौरी शंकर (गाजीपुर)
राय, श्री नर्मदा प्रसाद (सागर)
राय, श्री शिवराम (घोसी)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्री सौगत (बैराकपुर)
राव, श्री एस० एम० संजीवी (काकीनाडा)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, श्री जगन्नाथ (बरहामपुर)
राव, श्री जलगाम कोंडाला (खम्मम)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री पट्टाभी राम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकीनीडु (बापतला)
राव, श्री पी० वी० नरसिम्हा (हनमकोण्डा)
राव, श्रीमति बी० राधाबाई आनन्द (भद्राचलम)
राव, श्री राजे विश्वेश्वर (चन्द्रपुर)
राही, श्री राम लाल (मिसरिख)
रेड्डी, श्री एन० संजीवा (नन्दयाल)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री एस० आर० (गुलबर्गा)
रेड्डी, श्री के० ओबुल (कुड्डापाह)
रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द (नरसारावपेट)
रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर (कुरनूल)
रेड्डी, श्री जी० एस० (निरयालगुडा)
रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री पी० बायप्पा (हिन्दुपुर)
रोड्रिक्स, श्री रुडोलफ (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
रोथुआम, डा० आर० (मिजोरम)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीनारायण, श्री एम० आर० (डिंडिवनम)
लहानु शिदावा, श्री (हहानु)
लल्लू प्रसाद, श्री (छपरा)
लाल, श्री एस० एस० (बयाना)
लालजी भाई, श्री (सलूम्बर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लिंगडोह, श्री होपिंगस्टोन (शिलांग)

व

वकील, श्री अब्दुल अहाद (बारामुला)
वर्मा, श्री आर० एल० पी० (कोडरमा)
वर्मा, श्री सुखदेव (चतरा)
वर्मा, श्री चन्द्रदेव प्रसाद (आरा)

वर्मा, श्री फूल चन्द (शानापुर)
वर्मा, श्री मृत्युंजय प्रसाद (सिवान)
वर्मा, श्री बृज लाल (महासमुन्द)
वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह (मैनपुरी)
वर्मा, श्री रवीन्द्र (रांची)
वर्मा, श्री हरगोविंद (सीतापुर)
वशिष्ट, श्री धर्म वीर (फरीदाबाद)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (नई दिल्ली)
विश्वनाथन, श्री सी० ए० (तिरुपत्तूर)
वोरोभूलोपी, श्री के० एस० (बैलूलारी)
वीरभद्रप्पा श्री के० एस० (बैल्लारी)
वेंकटरामन, श्री आर० (मद्रास दक्षिण)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दीपेट)
वेंकटा रेड्डी, श्री पी० (ओंगोले)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानंद, श्री बी० (चिक्कोडी)
शर्मा, श्री जगन्नाथ (गढ़वाल)
शर्मा, श्री भगवत दयाल (करनाल)
शर्मा, श्री यज्ञादत्त (गुरदासपुर)
शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार (रामपुर)
शान्ति देवी, श्रीमति (सम्भल)
शाक्य, श्री दया राम (फरुखाबाद)
शाक्य, डा० महादीपक सिंह (एटा)
शारदा, श्री एस० के० (अजमेर)
शास्त्री, श्री भानु कुमार (उदयपुर)
शास्त्री, श्री रामधारी (पदरौना)
शास्त्री, श्री वाई० पी० (रीवा)
शाह, श्री डी० पी० (बस्तर)
शाह, श्री सूरत बहादुर (खीरी)
शिन्दे, श्री पी० अन्नासाहेब (अहमदनगर)
शिवनारायण, श्री (बस्ती)
शिव सम्पत, श्री (राबर्टगंज)
शुक्ल, श्री मदन लाल (जांजगीर)
शेजवलकर, श्री एन० के० (ग्वालियर)
शेट, श्री विनोदभाई (जामनगर)
शेर सिंह, प्रो० (रोहतक)
शैजा, श्रीमती रानों एम० (नागालैंड)
शैजा, श्री वाई० (बाह्य मणिपुर)
श्रृंगारे, श्री टी० एस० (उस्मानाबाद)
श्रीकृष्ण, श्री (मुगर)
षाडंगी, श्री आर० पी० (जमशेदपुर)

स

संगमा, श्री पी० ए० (तुरा)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप)
सैयद मोहमद, डा० वी० ए० (कालीकट)
श्री सईद मुर्तजा (मुजफ्फरनगर)
सक्सेना, प्रो० शिब्बनलाल (महाराजगंज)
सत्पथी, श्री देवेन्द्र (ढेनकानल)
सत्यदेव सिंह, श्री (गौंडा)
सत्यनारायण, श्री दरोनमराजू (विशाखापटनम)
समनता सिन्हार, श्री पदमचरण (पुरी)
सरकार, श्री शक्ति कुमार, (जयनगर)
सरदार, श्री महेन्द्रनारायण (अररिया)
सरन, श्री दौलतराम (चुरू)
सरसूनिया, श्री शिव नारायण (करोलबाग)
साठे, श्री वसंत, (अकोला)
सान्याल, श्री समंकसेखर (जंगीपुर)
साय, श्री एल (सरगुजा)
साय, श्री नरहरि प्रसाद (रायगढ़)
सायनवाला, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजपुर)

साहू, श्री अइथू (बोलांगीर)
साहा, श्री ए० के० (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाघर (बीरभूम)
सिंह, डा० बी० एन०, (हजारीबाग)
सिकन्दर बख्त, श्री (चांदनी चौक)
सिन्हा, श्री एच० एल० पी० (जहानाबाद)
सिन्हा, श्री महामाया प्रसाद (पटना)
सिंघा, श्री सचिन्द्र लाल (त्रिपुरा-पश्चिम)
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)
सिन्हा, श्री पूर्ण (तेजपुर)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरगंज)
सुखेन्द्र, सिंह, श्री (सतना)
सुधीरन, श्री वी० एम० (एल्लेप्पा)
सुन्ना साहिब, श्री ए० (पालघाट)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (पलानी)
सुमन, श्री रामजी लाल (फिरोजाबाद)
'सुमन', श्री सुरेन्द्र झा (दरभंगा)
सुरेन्द्र विक्रम, श्री (शाहजहांपुर)
सूरजभान, श्री (अम्बाला)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलुरू)
सूर्य नारायण, सिंह, श्री (सिधी)
सेन, श्री प्रफुल्ल चन्द्र (आरामबाग)
सेन, श्री रोबिन (आसनसोल)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (मंजेरी)
सैनी, श्री मनोहर लाल (महेन्द्रगढ़)
सोभानी, श्री रूप लाल (भीलवाड़ा)
सोमसुन्दरम्, श्री एस० डी० (तंजावर)
सोपानी, श्री एस० एस० (चित्तौड़गढ़)
स्टीफन, श्री सी० एम० (इदुक्की)
स्वतन्त्र, श्री जगन्नाथ प्रसाद (बगहा)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोप्पल)
स्वामी, डा० सुब्रह्मण्यम (बम्बई-उत्तर पूर्व)
स्वामीनाथन, श्री आर० वी० (मदुरै)

ह

हजारी, श्री राम सेवक (रोसेड़ा)
हरिकेश बहादुर, श्री (गोरखपुर)
हरेन, भूमिज, श्री (डिब्रूगढ़)
हांडे, श्री वी० जी० (नासिक)
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र (दुर्गापुर)
हाशिम, श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)
हीराभाई, श्री (बांसवाड़ा)
हुकम राम, श्री (जालोर)
हेगड़े, श्री के० एस० (बंगलौर—दक्षिण)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री नीलम संजीव रेड्डी

उपाध्यक्ष

श्री गोड़े मुराहरि

सभापति तालिका

श्री धीरेन्द्र नाथ बसु
श्री त्रिदिब चौधरी
कुमारी आभा मैती
श्री एस० डी० पाटिल
श्री एम० सत्यनारायण राव
श्री द्वारिका नाथ तिवारी

महासचिव

श्री श्यामलाल शकधर

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री	श्री मोरारजी देसाई
गृह मंत्री	चौधरी चरण सिंह
रक्षा मंत्री	श्री जगजीवन राम
सूचना और प्रसारण मंत्री	श्री लाल कृष्ण अडवानी
कृषि और सिंचाई मंत्री	श्री प्रकाश सिंह बादल
पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री	श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा
निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री सिकन्दर बख्त
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री शान्ति भूषण
शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री	श्री प्रताप चन्द्र चन्दर
रेल मंत्री	प्रो० मधु दण्डवते
वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री	श्री मोहन धारिया
संचार मंत्री	श्री जार्ज फर्नेन्डीज
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री पुरुषोत्तम कौशिक
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री	श्री राजनारायण
वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री	श्री एच० एम० पटेल
इस्पात और खान मंत्री	श्री बीजू पटनायक
ऊर्जा मंत्री	श्री पी० रामचन्द्रन्
विदेश मंत्री	श्री अटल बिहारी वाजपेयी
संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री	श्री रवीन्द्र वर्मा
उद्योग मंत्री	श्री बृजलाल वर्मा

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

MEMBER SWORN

श्री ए० ई० टी० बैरो (नामनिर्देशित—आंगल-भारतीय)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

OBITUARY REFERENCES

अध्यक्ष महोदय : मैं दु:ख के साथ सभा को अपने एक साथी, श्री एस० बी० गिरी, और तीन भूतपूर्व सदस्यों श्री गिरिजा शंकर गुह, श्री हेम बरुआ और श्री के० सी० नियोगी के निधन के सम्बन्ध में सूचित करता हूं।

श्री एस० बी० गिरी आन्ध्र प्रदेश के वारांगल निर्वाचन-क्षेत्र से इस सभा के वर्तमान सदस्य थे। वह वर्ष 1971–72 के दौरान पांचवीं लोक सभा के भी सदस्य रहे थे। वह एक मजदूर नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। आजादी के बाद उन्होंने भूतपूर्व हैदराबाद रियासत के भारतीय संघ में विलय के लिये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह एक लम्बी अवधि से कार्मिक संघों की गतिविधियों में भाग लेते रहे हैं और उन्होंने आल इंडिया रेलवेमेन्स फेड-रेशन और हिन्द मजदूर सभा में भी बहुत से उच्च पदों पर काम किया। श्रमिकों के हितों के प्रति निष्ठा रखने के लिये उन्हें काफी समय तक याद किया जाता रहेगा। उन्होंने देश-विदेशों का दौरा किया और अपने अच्छे स्वभाव के कारण अनेक व्यक्तियों को मित्र बनाया। वह सभा की कार्यवाही में सक्रिय भाग लेते थे। 23 अप्रैल, 1977 को सिकन्दराबाद में 55 वर्ष की आयु में उनका अचानक निधन हो गया।

श्री गिरिजा शंकर गुह 1947–52 के दौरान संविधान सभा और अन्तरिम संसद के सदस्य थे। इससे पूर्व 1945 में उन्होंने त्रिपुरा राज्य में मंत्री के रूप में कार्य किया था। 2 मार्च, 1977 को शिलांग में 83 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।

श्री हेम बरुआ 1957–70 के दौरान दूसरी, तीसरी और चौथी लोक सभा के सदस्य थे। चौथी लोक सभा में उन्होंने आसाम में मंगलदायी निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। अंग्रेजी साहित्य में एक प्राध्यापक के रूप में अपना जीवन व्यवसाय आरम्भ करने के शीघ्र बाद वह सक्रिय राजनीति में आये और 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में शामिल हो गये। एक परिपक्व संसदज्ञ होने के नाते उन्होंने सभा की कार्यवाही में बहुत रुचि ली और उनके विचारों को बहुत आदर से सुना जाता था। विदेशी मामलों तथा आर्थिक विकास के मामलों में वह अधिक रुचि लेते थे। इसके अलावा वह एक प्रसिद्ध लेखक, पत्रकार और शिक्षाविद् भी थे। कुशल लेखक होने के नाते उन्होंने अंग्रेजी, आसामी और हिन्दी भाषाओं में विभिन्न विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखीं। वह विभिन्न शिक्षा संस्थानों से सम्बन्धित थे और उन्होंने बनारस और गौहाटी विश्वविद्यालय के कोर्टों के सदस्य के रूप में भी काम किया। लोक सभा की अपनी सदस्यता के दौरान विदेशों में भेजे गये कुछ संसदीय शिष्टमंडलों के वह सदस्य भी थे। 9 अप्रैल, 1977 को गोहाटी में 62 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।

श्री के० सी नियोगी 1921 से 1934 तक और फिर 1942 से 1947 तक केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य रहे। वह 1948 से 1951 तक संविधान सभा और अस्थायी संसद् के भी सदस्य रहे। वर्ष 1947-50 तक वह राहत और पुनर्वास मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री के पद पर सुशोभित रहे। उनमें बहुमखी प्रतिभा थी और विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने देश की सेवा की। वर्ष 1930-31 की अवधि के दौरान होने वाले तीन गोल-मेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय राज्यों के शिष्टमण्डलों के वह सलाहकार रहे। वर्ष 1935 से 1940 तक वह पूर्वी राज्य एजेंसी के म्यूरभंज राज्य के दीवान और फिर 1940-42 तक वहां के राजनीतिक सलाहकार के पद पर रहे। 1946 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव अधिकार समिति का सदस्य बनाया गया। 1951 में उन्होंने वित्त आयोग के सभापति और 1953 में योजना आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया। अपने संसदीय जीवन के दौरान उन्होंने वाद-विवाद विशषज्ञ के रूप में गहरीं छाप छोड़ी और केन्द्रीय विधान सभा की सभापति तालिका में भी अनेक वर्षों तक उनका नाम रहा। 2 जून, 1977 को 89 वर्ष की परिपक्कव आयु में उनका देहान्त हो गया।

इन मित्रों के निधन पर हम गहरा दुःख प्रकट करते हैं और मुझे विश्वास है कि संतप्त परिवारों के प्रति सवेदना व्यक्त करने में यह सभा मेरे साथ है।

सभा दुःख प्रकट करने के लिए कुछ देर मौन खड़ी हो।

तत्पश्चात् सदस्य कुछ देर मौन खड़े रहे।

The Members then stood, in silence for a short while.

अध्यक्ष महोदय : सभापटल पर पत्र रख जाने हैं। चौधरी चरण सिंह।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकिल): ये वही पत्र हैं जिनके द्वारा लोकतंत्र की हत्या हुई है और उन्होंने 9 विधान सभाओं को मनमर्जी से भंग किया है। यह संविधान का उल्लंघन है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा 30-4-77 को जारी की गयी उद्घोषणाएं

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत हरियाणा राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 30 अप्रैल, 1977 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत दिनांक 30 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां० नि० 201 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (झ) के अनुसरण में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति के दिनांक 30 अप्रैल, 1977 के आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 30 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 202 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) (एक) संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 30 अप्रैल, 1977 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत दिनांक 30 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 203 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (झ) के अनुसरण में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति के दिनांक 30 अप्रैल, 1977 के आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 30 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 204(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(3) (एक) संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 30 अप्रैल, 1977 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अन्तर्गत दिनांक 30 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 205 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (झ) के अनुसरण में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति के दिनांक 30 अप्रैल, 1977 के आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 30 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 206 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(4) (एक) संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 30 अप्रैल, 1977 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अन्तर्गत दिनांक 30 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 207(ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (झ) के अनुसरण में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति के दिनांक 30 अप्रैल,

1977 के आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 30 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 208(ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(5) (एक) संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत पंजाब राज्य के संबंध में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 30 अप्रैल, 1977 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत दिनांक 30 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 209(ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (झ) के अनुसरण में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति के दिनांक 30 अप्रैल, 1977 के आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 30 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 210(ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(6) (एक) संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के संबंध में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 30 अप्रैल, 1977 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत दिनांक 30 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 211 (ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (झ) के अनुसरण में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति के दिनांक 30 अप्रैल, 1977 के आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 30 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 212(ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(7) (एक) संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 30 अप्रैल, 1977 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत दिनांक 30 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 213(ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (झ) के अनुसरण में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति के दिनांक 30 अप्रैल, 1977 के आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 30 अप्रैल,

1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 214 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(8) (एक) संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 30 अप्रैल, 1977 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत दिनांक 30 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 215(ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (झ) के अनुसरण में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति के दिनांक 30 अप्रैल, 1977 के आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 30 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 216(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(9) (एक) संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत बिहार राज्य के संबंध में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 30 अप्रैल, 1977 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अन्तर्गत दिनांक 30 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 217(ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखंड (झ) के अनुसरण में राष्ट्रपति के रूप मे कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति के दिनांक 30 अप्रैल, 1977 के आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 30 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 218 (ङ) में प्रकाशित हुआ था। **(ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये एल० टी०-253/77)**

(10) (एक) सविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत मणिपुर राज्य के सबंध में राष्ट्रपति के रूप मे कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 16 मई, 1977 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अन्तर्गत दिनांक 16 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 241(ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखंड (झ) के अनुसरण में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति के दिनांक 16 मई, 1977 के आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 16 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 242 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति को मणिपुर के राज्यपाल के दिनांक 15 मई, 1977 के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । **(ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए एल० टी०–254/77) ।**

31–12–1975 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये ऋणों सम्बन्धी अधिसूचना, स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम आदि

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 की उपधारा (8) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कर्यकरण तथा क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवदन ।

(दो) बैंक आफ इण्डिया के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन ।

(तीन) पंजाब नेशनल बैंक के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण-तथा क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(चार) बैंक आफ बड़ौदा के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(पांच) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन ।

(छः) केनरा बैंक के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन;

(सात) यूनाइटेड बैंक आफ इडिया के 31 दिसम्वर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन ।

(आठ) देना बैंक के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों संबंधी, प्रतिवेदन लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन ।

(नौ) सिंडीकेट बैंक के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दस) यूनियन बैंक आफ इंडिया के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ग्यारह) इलाहाबाद बैंक के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

(बारह) इण्डियन बैंक के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्य-करण तथा क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तेरह) बैंक आफ महाराष्ट्र के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

(चौदह) इण्डियन ओवरसीज बैंक के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
ग्रन्थालय में रखे गये **देखिये** एल टी–25/77]

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी करने की घोषणा सम्बन्धी अधिसूचना संख्या एफ4(2)–डबल्यू एण्ड एम 77 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 30 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।
[ग्रन्थालय में रखे गये **देखिये** एल टी–255 77]

(दो) स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 की धारा 114 की उपधारा (3) के अन्तर्गत स्वर्ण नियंत्रण (प्रपत्र, फीस तथा प्रकीर्ण मामले) संशोधन नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 31 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 280(ङ) में प्रकाशित हुये थे।
[ग्रन्थालय में रखा गया **देखिये** एल टी–256/77]

(तीन) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क-वापसी (संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 9 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 177(ङ)

में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए एल टी 257/77]।

(चार) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :–

(क) सा० सां० नि० 162(ङ) जो दिनांक 1 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ख) सा० सां० नि० 164(ङ) जो दिनांक 1 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग) सा० सां० नि० 168(ङ) जो दिनांक 6 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(घ) सा० सां० नि० 173(ङ) जो दिनांक 9 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ङ) सा० सां० नि० 174(ङ) जो दिनांक 9 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(च) सा० सां० नि० 176(ङ) जो दिनांक 9 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छ) सा० सां० नि० 185(ङ) जो दिनांक 15 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
[ग्रन्थालय में रखा गया / देखिए एल टी–258/77]

(पांच) भेषज तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, 1955 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भेषज तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पाद-शुल्क) संशोधन नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 5 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 290 में प्रकाशित हुए थे।
[ग्रन्थालय में रखा गया / देखिये एल टी –259/77]

(छ) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) सा० सां० नि० 203 जो दिनांक 12 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ख) सा० सां० नि० 161(ङ) जो दिनांक 1 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग) सा० सां० नि० 172(ङ) जो दिनांक 9 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(घ) सा० सां० नि० 190(ङ) जो दिनांक 22 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(ङ) सा० सां० नि० 191 (ङ) जो दिनांक 22 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(च) सा० सां० नि० 226 (ङ) जो दिनांक 9 मई, 1977 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छ) सा० सां० नि० 235 (ङ) जो दिनांक 11 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ज) सा० सां० नि० 243(ङ) जो दिनांक 18 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये / **देखिए** एल टी–260/77]

(सात) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) सा० सां० नि० 171(ङ) जो दिनांक 6 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसक द्वारा सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की द्वितीय अनुसूची में कतिपय संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ख) सा० सां० नि० 193(ङ) जो दिनांक 26 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की द्वितीय अनुसूची में कतिपय संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग) सा० सां० नि० 234(ङ) जो दिनांक 11 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा सीमा-शुल्क (टैरिफ) अधिनियम, 1975 की द्वितीय अनुसूची में कतिपय संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये / **देखिए** एल टी–261/77]

(आठ) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (आठवां संशोधन) नियम, 1977 जो दिनांक 19 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 175(ङ) में प्रकशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ख) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (बारहवां संशोधन) नियम, 1977 जो दिनांक 21 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 659 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये / देखिए एल टी–262/77]

(नौ) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 90 तथा कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 की धारा 24क के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 899(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 26 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें वायुयान चलाने वाले उदयमों की आय पर दोहरे कराधन के निवारणार्थ भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमरीका सरकार के बीच हुआ करार दिया हुआ है।

[ग्रन्थालय में रखा गया / देखिए एल टी–263/77]

(दस) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 90 और कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 की धारा 24क के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 167(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 1 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें आय कर करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधन के निवारण और राजस्व के अपवंचन को रोकने के लिए भारत सरकार और मलेशिया सरकार के बीच हुआ करार दिया हुआ है।

[ग्रन्थालय में रखा गया / देखिए एल टी–264/77]

(ग्यारह) अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 170(ङ) की एक प्रति जो दिनांक 7 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 26 नवम्बर, 1976 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 899(ङ) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

[ग्रन्थालय में रखा गया / देखिए एल टी–235/77]

अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) संशोधन अध्यादेश, 1977, योग उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश, 1977

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

संविधान के अनुच्छेद 123(2) (क) के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(1) अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) संशोधन अध्यादेश, 1977 (1977 का संख्या 7) जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा 9 मई, 1977 को प्रख्यापित किया गया था।

(2) योग उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश, 1977 (1977 का संख्या 8) जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा 24 मई, 1977 को प्रख्यापित किया गया था।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए एल टी—266/77]

30—5—77 को गाड़ी संख्या 13 अप तेजपुर एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : ACCIDENT TO TRAIN No. 13 UP TEZPUR EXPRESS ON 30-5-77

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य लम्बा है, अतएव आप उसे सभा पटल पर रख दें ।

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : : मैं 30 मई, 1977 को उदलगुड़ी और रौटा बागान स्टेशनों के बीच 13 अप तेजपुर एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं ।

श्रीमती पार्वतीकृष्णन (कोयम्बतूर) : कई और भी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आज रेल मंत्री बजट पेश करेंगे । तत्पश्चात् रेलों पर चर्चा की जायेगी ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : बजट में केवल दुर्घटनाओं पर ही चर्चा नहीं की जायेगी ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं अत्यन्त खेद और विषाद के साथ 30—5—1977 को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर 13 अप तेजपुर एक्सप्रेस के दुर्घटना के सम्बन्ध में सदन को अवगत कराने के उद्देश्य से एक बयान देने के लिए खड़ा हुआ हूं । उस दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि को करीब 01.25 बजे जब 11 सवारी डिब्बों वाली 13 अप तेजपुर एक्सप्रेस अलीपुर द्वार मंडल की रंगिया-रंगपाड़ा नार्थ मीटर लाइन के इकहरी लाइन खंड पर उदलागुड़ी और राउतावगान स्टेशनों के बीच चल रही थी तो गाड़ी का इंजन और इसके पीछे के 4 सवारी डिब्बे पानी की धारा में गिर गये और 5वां सवारी डिब्बा पुल सं० 141 पर लटक गया । विस्तृत खोजबीन करने पर 85 शव प्राप्त हुए हैं। अठारह व्यक्तियों को गम्भीर चोटें आयीं और 88 व्यक्तियों को साधारण चोटें आयीं । जिन घायल व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती कराना आवश्यक था उन्हें उस क्षेत्र के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया ।

2. 29 और 30 मई 1977 की रात को पुल के पास नदी में अचानक तेज बाढ़ आ गयी । इस अपूर्व बाढ़ के परिणामस्वरूप पुल नं० 141 जिसका 40 फुट जल-मार्ग था, पर जल स्तर यहां पहले आयी बाढ़ों के उच्चतम स्तर से भी 6 फुट अधिक हो गया । पानी के अपूर्व तेज बहाव ने पुल नं० 141 के पूर्वी सिरे के पोलपाये को नीचे से काट दिया जिससे वह गिर गया । यह भी मालूम हुआ है कि बाढ़ अचानक आने तथा उसका बहाव तेज होने के कारण बाढ़ का कुछ पानी पुल नं० 139 से जो इस पुल के पश्चिम में लगभग 700 मीटर दूर है और जिसका जल-मार्ग 140 फुट लम्बा है, पूर्व की ओर बहने लगा और इस

पुल नं० 141 की तरफ से अपना रास्ता बना लिया जिससे यह पुल अंततोगत्वा ढह गया। बाढ़ की आकस्मिकता और विभीषिका ऐसी थी कि न केवल पुल नं० 141 का पूर्वी पोलपाया ढह गया बल्कि इस क्षेत्र के अन्य पुल नं० 114, 125 और 145 को भी भारी नुकसान पहुंचा ।

3. इस खंड के विभिन्न पुलों से सम्बन्धित सभी आंकड़ों, पिछला इतिहास तथा पहले आयी बाढ़ की स्थिति का भली भांति अध्ययन करने के बाद पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने उन पुलों को असुरक्षित पुलों की कोटि में वर्गीकृत किया है । जिन पर विशेष निगरानी रखना अपेक्षित है । इस पुल नं० 141 के सम्बंध में पहले कभी कोई अनिश्चितता की बात नहीं पायी गयी थी और यहां बाढ़ का उच्चतम स्तर गर्डरों के तल से काफी नीचे रहा है । अतः इस पुल को असुरक्षित कोटि के पुलों में नहीं रखा गया है ।

4. इस खण्ड के प्रभारी रेल पथ निरीक्षक ने 29-5-1977 को 20.15 बजे और 21.25 बजे के बीच इस प्रभावित क्षेत्र का ट्राली पर निरीक्षण किया था । ट्राली पर जाते समय उन्हें यहां कोई असामान्य बहाव या ऊचे स्तर की बाढ़ का पूर्वाभास दिखायी नहीं दिया। तेजपुर के विशप ने भी, जो 22.45 बज के लगभग इस पुल के पास से गुजरे थे, कोई असामान्य बात नहीं देखी । इन सब बातों से यह पता चलता है कि यह अपूर्व भारी बाढ़ अचानक आयी तथा रेल पथ निरीक्षक के निरीक्षण के थोड़े समय के बाद ही इस प्रकार की भारी बाढ़ आने की कोई सूचना नहीं थी । स्थानीय लोगों से पूछताछ करने पर भी यह पता चला कि वहां इस तरह की भारी बाढ़ जीवन में कभी देखने में नहीं आयी ।

5. इस गाड़ी से मिलीटरी की एक यूनिट तथा एयर फोर्स के एक डाक्टर भी यात्रा कर रहे थे । दुर्घटना के तुरन्त बाद डाक्टर ने मिलीटरी के जवानों की मदद से सहायता कार्य आरम्भ कर दिया और लोगों की प्राथमिकता चिकित्सा की । इसके अतिरिक्त, कुछ घंटों के भीतर उदलागुड़ी से भी एक डाक्टर वहां पहुंच गया। चूंकि इस क्षेत्र में अन्य कई पुलों के बह जाने के कारण रेल द्वारा उस स्थान पर पहुंचना असम्भव था । अतः सेना तथा सिविल प्राधिकारियों को भी सतर्क कर दिया गया तथा सेना और सिविल डाक्टरों के साथ रेलवे के डाक्टर वहां पहुंच गये और दुर्घटना के चन्द घंटों के भीतर ही घायलों का उपचारू शुरू कर दिया । बचाव कार्य में घायलों को अस्पताल पहुंचाने तथा असहाय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में सेना ने महत्वपूर्ण योग दिया ।

6. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, जिन्हें कलकत्ता में यह सूचना मिली, शीघ्र ही वायुयान द्वारा गुवाहाटी के लिए रवाना हो गये और वहां से दुर्घटनास्थल पर पहुंच गये । असम के मुख्य मंत्री भी अपने कुछ सहयोगियों के सार्थ दुर्घटनास्थल पर पहुंचे । दुर्घटना की गंभीरता के बारे में पता चलते ही मैं वायुयान द्वारा गुवाहाटी पहुंचा और बचावकार्यों तथा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को दी गयी सहायता का निरीक्षण करने के लिए वहां से दुर्घटना-स्थल पर पहुंचा । वहां पहुंचकर मैंने देखा कि दुर्घटना का शिकार होने वाले बहुत से लोग निम्न आय-वर्ग के थे, इसलिए मैंने ऐसे अवसरों पर आम तौर पर अनुग्रह के रूप में दी जाने वाली सहायता की राशि में मौके पर ही वृद्धि कर दी । मैंने उन घायलों को भी देखा जिनका अस्पतालों में इलाज किया जा रहा था ।

7. प्रत्येक मृतक और घायल व्यक्ति के मामले पर विचार करने के लिए मैं एक दावा आयुक्त की नियुक्त कर रहा हूं, जो उनके कानूनी वारिसों का पता लगाकर उन्हें समुचित मुआवजा देंगे। मुआवजे की अधिकतम सीमा 50,000/- रुपये प्रति व्यक्ति है।

8. दुर्घटना का शिकार हुए लोगों की पूरी खोज करने के उद्देश्य से, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट से मेरे साथ वायुयान में गोता लगाने के लिए आवश्यक साज-सामान सहित विशेष गोतेखोर भेजे गये और उन्होंने 31 मई की शाम को अपना काम शुरू कर दिया।

9. सभी मृत व्यक्तियों को ढूंढ़ निकालने के लिए यह जरूरी था कि डिब्बों को पानी से निकाला जाये। इस उद्देश्य से, भरसक प्रयास करके, पुल संख्या 141 के रंगिया वाले सिरे पर जो पुल क्षतिग्रस्त हो गये थे, उनकी समय पर मरम्मत की गयी और सहायता गाड़ी, अत्यधिक तेजी से, 3 जून को दुर्घटना-स्थल पर पहुंच गयी। साथ ही, विशाखापत्तनम से भारी अन्तर्जलीय साज-सामान लेकर नौ-सेना के गोताखोर भी दुर्घटना-स्थल पर भेजे गये। इन सबकी सहायता से सारे सवारी डिब्बे पानी से बाहर निकाले गये तथा मृत व्यक्तियों की लाशों को ढूंढ़ने के लिए पूरी खोज की गयी।

10. इस दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों के बारे में तथ्यों का पता लगाने के लिए असम की राज्य सरकार ने भी एक समिति का गठन किया था जो निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंची है :—

> "पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के रंगिया-रंगापाड़ा नार्थ मीटर लाइन खण्ड पर उदलागुड़ी और राउतावगान रेलवे स्टेशनों के बीच किलोमीटर 64 11–12 पर पुल संख्या 141 एक छोटे से जल मार्ग पर 40 फुट स्पैन वाला गर्डर पुल था। यह जल मार्ग आम तौर पर शुष्क रहता है और इसके माध्यम से धान के खेतों से पानी की निकासी होती है। यह दुर्घटना 30 मई, 1977 को बड़े तड़के लगभग 01.25 बजे हुई क्योंकि 29 और 30 मई, 1977 की रात को, आधी रात और प्रातः 01.00 बजे के बीच, गोलन्दी नदी में अभूतपूर्व जोरदार बाढ़ आने के कारण रेलवे पुल सं० 141 के ऊपर से पानी बहने के कारण पुल को क्षति पहुंची थी। नदी की धारा के प्रतिकूल लगभग 3 किलोमीटर तक और रेलवे पुल सं० 141 के उत्तर-पश्चिम में बाढ़ का अत्यधिक जोर था और पानी बड़े वेग से दक्षिण पूर्व दिशा में काहीबाड़ी ग्राम की ओर बह रहा था। इस अभूतपूर्व बाढ़ का प्रकोप इतना अधिक था कि रेलवे पुल सं० 141 को अत्यधिक हानि हुई जिसके फलस्वरूप पुल का पूर्वी पोलपाया और इस पोलपाये के पीछे का रेलवे तटबन्ध बह गये। इस अत्यधिक तेज बाढ़ के दौरान गोलन्दी नदी की बाढ़ के पानी का रुख मोड़ देने से ऐसे हालात पैदा हो गये जिनके कारण इस पुल को अपनी क्षमता से कई गुना अधिक बाढ़ के पानी का सामना करना पड़ा। पुल पर इसका घातक प्रभाव पड़ा। हवाई सर्वेक्षण और रिकार्ड किये गये बयानों से यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि 29–30 मई, 1977 की रात को जो तेज बाढ़ आयी, वह बहुत विधवंसक थी।"

11. रेल संरक्षा के उपर आयुक्त ने इस दुर्घटना के सम्बन्ध में अपनी सांविधिक जांच 2 जून को रंगिया में शुरु की। उनके अन्तिम निष्कर्ष के अनुसार, यह दुर्घटना गोलन्दी नदी के पानी, जो आम तौर पर सांथ वाले पुल सं० 139 से होकर रेल पथ के दूसरी ओर जाता था, का रुख मोड़ देने के कारण पुल सं० 141 के राउतावगान वाले सिरे की ओर स्थित पोलपाये और पहुंच मार्गों के कटाव के कारण हुई। 13 अप तेजपुर एक्सप्रेस के पटरी से उतरने को रोकने में असफल रहने के लिए उन्होंने किसी, रेल कर्मचारी को जिम्मेवार नहीं ठहराया है और दुर्घटना को 'भगवान की इच्छा' के कारण हुई एक घटना माना है।

12. सेना के जवानों ने, जो अगले सवारी डिब्बों में यात्रा कर रहे थे, न केवल शीध्रता से अपनी जानें बचायीं बल्कि उस अन्धकार-मय तड़के के समय अन्य यात्रियों की जानें भी बचायीं। उन वीर जवानों के जीवन का वह महान अवसर था और इसलिए मैं उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) संशोधन विधेयक

ADDITIONAL EMOLUMENTS (COMPULSORY DEPOSIT) AMENDMENT BILL

वित्त, राजस्व तथा बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

श्री वयालार रवि : (चिरयिकील) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। प्रस्तावित विधेयक के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को अपनी जमा राशि वापिस लेने की अनुमति नहीं है। पहले सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि कर्मचारियों को दूसरी किश्त का नकद भुगतान किया जाएगा। यह विधेयक जुलाई में पेश किया जाना चाहिए था और पेश करने से पूर्व सरकार को दूसरी किश्त नकद देने का वायदा पूरा करना था। मैं इस विधेयक के पेश किए जाने का विरोध करता हूं।

श्री एच० एम० पटेल : ये तर्क विधेयक पर चर्चा करने के दौरान किए जा सकते हैं, इस समय नहीं।

अध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है :

> "कि अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री एच० एम० पटेल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) संशोधन अध्यादेश के बारे में विवरण

STATEMENT RE-ADDITIONAL EMOLUMENTS (COMPULSORY DEPOSIT) AMENDMENT ORDINANCE

वित्त, तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) संशोधन अध्यादेश, 1977 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाले एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । [Placed in Library, *see* No. L-T—267/77]

रेल बजट, 1977–78

RAILWAY BUDGET 1977–78

श्री वयालार रवि (चिरांचिकौल) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जब किसी मंत्री को अनुच्छेद 75 (4) के अधीन पद ग्रहण करने की शपथ लेनी होती है तो इसके लिए एक नियत फार्म है यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

अध्यक्ष महोदय : हमें इस बारे में न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए । इस पर मैं इस समय वाद विवाद की अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री वयालार रवि : यदि न्यायालय इनके विरुद्ध निर्णय दे देता है तब वह बजट कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं । एक सदस्य को 500 रुपए जुर्माना देना होता है । वह कितना जुर्माना देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : सभा इस पर निर्णय आने के बाद विचार कर सकती है ।

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : मैं सदन के समक्ष भारत की सरकारी रेलों का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं जिसमें 1977-78 में अनुमानित प्राप्ति और व्यय का व्यौरा दिया गया है ।

2. 28 मार्च, 1977 को प्रस्तुत अन्तरिम बजट की स्वीकृति के बाद में ट्रेड यूनियनों, औद्योगिक और यात्री एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों और कुछ प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों से मिला था । मैं चाहता था कि मैं रेलों के कार्य-संचालन के सम्बन्ध में उनकी वास्तविक शिकायतों का पता लगाऊं और रेल संचालन में सुधार के लिए उनके ठोस सुझाव प्राप्त करूं ।

3. इस लाभदायक विचार-विमर्श के बाद मैं सोचता रहा हूं कि किस प्रकार रेलों की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु बनाया जाय और यात्रियों, विशेष रूप से दूसरे दर्जे के यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था की जाय ।

बजट अनुमान 1977–78

4. सबसे पहले मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि संसद् के पिछले अधिवेशन में मैंने जो यह आश्वासन दिया था कि मई, 1974 की हड़ताल में उत्पीडित सभी रेल कर्म-

[प्रो० मधु दण्डवते]

चारियों को छः सप्ताह के भीतर बहाल कर दिया जाएगा, उसे निश्चित समय में ही पूरा कर दिया गया है। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कर्मचारियों को बहाल करने, उनकी वरिष्ठता में हुई गडबड़ी को फिर से ठीक करने, सेवा-भंग को माफ करने, हड़ताल के दण्डस्वरूप किए गए स्थानान्तरणों को रद्द करने के सारे काम वायदे के मुताबिक रखे गए छः सप्ताह के समय से भी पहले पूरे कर लिए गए हैं। तत्परतापूर्वक किए गए इन उपायों के फलस्वरुप प्रत्यक्षतः रेलों में बेहतर औद्योगिक वातावरण बना है। साथ ही अर्थ व्यवस्था में सुदृढ़ता आयी है। इसका ही यह परिणाम है कि अन्तरिम बजट प्रस्तुत करने के बाद के इन कुछ सप्ताहों में रेलों में माल यातायात अन्तरिम बजट में की गई प्रत्याशा से भी अधिक रहा है। अकेले अप्रैल के महीने में ही पिछले वर्ष के अप्रैल महीने की तुलना में लगभग 10 लाख मीटरिक टन अधिक माल का लदान हुआ है। अनिवार्य वस्तुओं की ढुलाई की मांग निरन्तर अधिक बनी हुई है। सुधार के इस रुख को देखते हुए, मैंने 1977-78 में प्रारम्भिक राजस्व उपार्जक यातायात के लिए अन्तरिम बजट में निर्धारित 2170 लाख मीटरिक टन के लक्ष्य को बढ़ाकर 2200 लाख मीटरिक टन कर दिया है। तदनुसार, माल यातायात से आमदनी का अनुमान अब 1382.94 करोड़ रुपये रखा गया है जो कि अन्तरिम बजट में 1362.76 करोड़ रुपये था। यात्री यातायात से आदमनी के अनुमान में, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 6% वृद्धि पर आधारित है, कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है। "अन्य कोचिंग" और "फुटकर" के अन्तर्गत अनुमानित प्राप्तियां भी प्रायः ज्यों-की-त्यों हैं। तदनुसार, यातायात से कुल प्राप्ति का अनुमान 2110.24 करोड़ रुपये रखा गया है जबकि पहले 2091.44 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था।

संचालन-व्यय

5. साधारण संचालन व्यय के लिए 1977-78 के अन्तरिम बजट में 1635.75 करोड़ रुपये (शुद्ध) की व्यवस्था की गयी थी। इसमें लगभग 13 करोड़ रुपये की वृद्धि की गयी है ताकि यातायात के संशोधित लक्ष्य के लिए अनुरक्षण और परिचालन के बढ़े हुए खर्च की व्यवस्था की जा सके। सदन में अन्तरिम बजट प्रस्तुत करने के बाद विस्तृत समीक्षा की गयी और परिणामतः 1977-78 के वार्षिक योजना परिव्यय में कमी के कारण रेलवे की लाभांश सम्बन्धी दायिता लगभग 24 लाख रुपये कम हो गयी। इससे संचालन व्यय के लिए अपेक्षित अतिरिक्त खर्च कुछ हद तक संतुलित हो गया है। इन सब तथ्यों को देखते हुए, आशा है, 1977-78 में रेलवे के शुद्ध अधिशेष में अब 6 करोड़ रुपये से भी अधिक की वृद्धि हो जायेगी अर्थात् शुद्ध अधिशेष अब 26.45 करोड़ रुपये से बढ़कर 32.50 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है। 1976-77 में मिलने वाले लगभग 65 करोड़ रुपये के अधिशेष और 1977-78 में प्राप्त होने वाले सम्भावित अतिरिक्त अधिशेष को देखते हुए सामान्य राजस्व के प्रति रेलों की देनदारी में 37 करोड़ रुपये से भी अधिक की कमी हो जायेगी, अर्थात् अन्तरिम बजट में उल्लिखित 477.18 करोड़ रुपये की यह राशि घटकर लगभग 440 करोड़ रुपये रह जायेगी। मेरे लिए यह बड़े सन्तोष की बात है कि वर्तमान और प्रत्याशित अतिरिक्त यातायात के लिए अपेक्षित सभी दायित्वों को पूरा करने के बाद भी इस वर्ष रेलों को लगभग 32.50 करोड़ रुपये का उल्लेखनीय अधिशेष प्राप्त होने की सम्भावना है। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 1977-78 में रेलवे के किराये और माल भाड़े में कोई भी वृद्धि किये बिना ही ये परिणाम प्राप्त किये जायेंगे।

प्लेटफार्म टिकट की दर में कमी

6. मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि 1–4–1974 से प्लेटफार्म टिकट की दर बढ़ाकर 50 पैसे कर दी गयी थी। चूंकि कम से कम यात्री किराया केवल 30 पैसे है, इसलिये प्लेटफार्म टिकट की दर में इस वृद्धि से कुछ लोगों ने यह हथकंडा अपनाना शुरू कर दिया कि वे प्लेटफार्म पर जाने के लिये प्लेटफार्म टिकट के बजाय न्यूनतम यात्रा टिकट खरीद लेते हैं। इसलिये मैंने यह निर्णय किया है कि 1 जुलाई, 1977 से प्लेटफार्म टिकट की दर 50 पैसे से घटाकर 30 पैसे कर दी जाय। इस कमी का प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री से प्राप्त होने वाले राजस्व पर मामूली असर पड़ेगा और हो सकता है, इस कमी के फलस्वरूप इस मद में कुछ अधिक प्राप्ति होने लगे क्योंकि घटी हुई दर पर प्लेटफार्म टिकट खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ जायगी। मुझे आशा है कि अब लोग बिना अधिक बोझ महसूस किये अपने परिजनों के स्वागत के लिये प्रसन्न मन से रेलवे प्लेटफार्मों पर जा सकेंगे।

1977–78 के लिये योजना परिव्यय

7. वित्त मन्त्रालय के परामर्श से मेरे मंत्रालय द्वारा की गयी व्यापक पुनरीक्षा के परिणाम स्वरूप वर्ष 1977–78 के लिये रेलवे योजना की राशि 501 करोड़ रुपय से घटाकर 480 करोड़ कर दी गयी है। इस में बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास की महानगर परिवहन परियोजनाओं के लिये निर्धारित 10 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। नयी लाइनों के लिये आवंटन में कोई कमी नहीं की गयी है। एक के बाद एक रेलवे अभिसमय समिति और प्राक्कलन समिति द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसार उपयोगकर्ताओं की सुविधाओं के लिये अन्तरिम बजट में रखी गयी 3.88 करोड रुपये की राशि को बढ़ाकर 4 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस के अतिरिक्त निर्यात आर्डरों से संबंधित संचालन पूंजी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रेलों के उत्पादन कारखानों के लिये 2.80 करोड रुपय की व्यवस्था बरकरार रखी गयी है।

नई रेलवे लाइनें

8. देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास में रेलवे लाइनों का योगदान कम महत्वपूर्ण नहीं है। बजट को अन्तिम रूप देते समय मेरा यह प्रयास रहा है कि जिन लाइनों की पहले स्वीकृति दी जा चुकी है, उन के निर्माण में तेजी लायी जाय और जो भी सीमित साधन हमें उपलब्ध हैं, उन से और अधिक नयी लाइनों का निर्माण किया जाये। इस समय 25 रेलवे लाइनों के निर्माण का काम हाथ में है तथा 3 नयी रेलले लाइनों अर्थात् सिगंरौली कोयला क्षेत्रों की नयी कोयला खानों के लिये उत्तर प्रदेश में मिर्चाधुरी से जंयत तक, सिंगरेनी से कोयले की निकासी के लिये आन्ध्र प्रदेश में भद्राचलम से मनगुरू तक तथा पम्बन-धनुषकोडि लाइन को फिर से बिछाने का काम बजट में शामिल किया गया है केरल और तमिलनाडू में तिरुनेलवल्लि-तिरुवनन्तपुरम/कन्याकुमारी लाइन, पूर्वी उत्तर प्रदेश को उत्तर बिहार से मिलाने वाली छितौनी बगहा लाइन, उड़ीसा में जखपुरा-बांसपानी लाइन, आन्ध्र प्रदेश में नडिकुडे-बीबीनगर लाइन महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में वानी चनाका लाइन, उत्तर प्रदेश में शाहदरा सहारनपुर लाइन, पश्चिम बंगाल में हावड़ा-आमता लाइन तथा कर्नाटक में हसन-मेंगलूरलाइन, के निर्माण कार्य में तेजी लायी जायेगी। सात और रेलवे लाइनों के सर्वेक्षण कार्य को इस वर्ष के बजट में शामिल किया गया है। ये हैं – उड़ीसा में तलचर से सम्बलपुर और कोरापत

[प्रो* मधु दण्डवते]

से पार्वतीपुरम, राजस्थान में बीकानेर से छत्तरगढ़, जम्मू कश्मीर में जम्मू से ऊधमपुर, बिहार में रांची रोड से कोडरमा और मन्दारहिल से वैद्यनाथधाम तथा महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र के अमरावती को मुख्य लाइन पर लाना।

9. मैं कुछ और नयी रेलवे लाइनों के निर्माण को हाथ में लेना चाहता हूं इस के लिये मैं योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय के परामर्श से अधिक साधन जुटाने के लिय सभी संभावनाओं का पता लगा रहा हूं ताकि देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये तत्काल आवश्यक रैलवे लाइनों, जैसे दक्षिणी राज्यों को जोड़ने वाली वैस्ट कोस्ट कोंकण रेलवे, मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में धल्ली राजहरा जगदलपुर लाइन, त्रिपुरा में धर्मनगर कुमारघाट लाइन, केरल में एर्णाकुलम अलेप्पी लाइन, गुजरात में भावनगर तारापोर लाइन, बिहार में डेहरी-आन-सोन बन्जारी लाइन आदि के निर्माण का काम शीघ्र आरम्भ किया जा सके।

10. कई आमान होने के कारण यातायात के संचलन में गंभीर बाधा पड़ती रही है तथा मीटर लाइन और छोटी लाइन वाले क्षेत्र विकास की दृष्टि से बड़े घाटे में रहते हैं। इस समय कुल मिलकार 2500 किलोमीटर लम्बाई में आमान परिर्वतन का काम हो रहा है। इस में उत्तर प्रदेश और बिहार में बाराबंकी समस्तीपुर गुजरात में वीरमगाम ओखा, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में गुन्तकल्लु बेंगलूरु तथा महाराष्ट्र के पिछड़ हुए मराठवाड़ा क्षेत्र में मनमाड परबनी पर्ली बैजनाथ आदि लाइनों के आमान परिर्वतन की योजनायें शामिल हैं। आमान परिर्वतन की इन योजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिये सभी प्रयास किये जायेंगे। दो अन्य योजनाओं अर्थात दिल्ली-अहमदाबाद और वाराणसी-भटनी लाइनों को वर्तमान बजट में शामिल किया गया है। इन के अतिरिक्त तीन अन्य लाइनों, अर्थात शाहगंज से मऊ, सीतापुर से बड़बल और वाराणसी से छपरा लाइनों के आमान परिवर्तन के लिये सर्वेक्षण कराने का भी प्रस्ताव है।

दो मंजिले डिब्बे और यात्री सुविधाएं

11. अब मैं कुछ उन महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करूंगा जिनके बारे में माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है और जिन पर मैंने अन्तरिम बजट के बाद की अवधि में थोड़ा बहुत विचार किया है।

12. स्वभावत: हमारी चिन्ता का सबसे पहला विषय दूसरे दर्जे के यात्री हैं जो लम्बे अर्से से कष्ट उठाते आ रहे हैं दूसरे दर्जे की यात्रा में सुधार करना होगा तथा गाड़ियों में भीड़-भाड़ कम करने के लिय आधुनिक तकनीक के साथ-साथ अपने सभी साधनों का उपयोग करने के लिये कार्यवाही करनी होगी। टर्मिनल स्टेशनों पर दबाव तथा चरम सीमा तक प्रयोग में आने वाले कुछ मुख्य मार्गों पर लाइन क्षमता की कमी के कारण लम्बी दूरी की नयी गाड़ियां चलाने की गुजांइश अब बहुत कम रह गयी है। अत: लम्बी दूरी की इस तरह की गाड़ियों में भीड़-भाड़ कम करने के लिय मैं कुछ ऐसे मार्गों पर, जहां संभव हो, दो मंजिले डिब्बों का इस्तेमाल किये जाने के बारे में विचार कर रहा हूं। इस समय प्रोटोटाइप डिब्बा चलाकर परीक्षण किये जा रहे हैं और यदि वे संतोषजनक सिद्ध हुए तो हम कुछ विशिष्ट मार्गों पर दो मंजिली गाड़ियां चलायेंगे।

13. गान्धीवाद और समाजवाद में मेरी अटूट आस्था है, इसलिये जब कभी तरजीह देने का प्रश्न सामने आयेगा तो समृद्ध वर्गों की अपेक्षा निर्धन ग्राम जनता की जरुरतों और आवश्यकताओं को सदा तरजीह दी जायगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने यह निश्चय किया है कि आगामी वर्षों में लम्बी दूरी की जो अतिरिक्त गाड़ियां चलायी जायेंगी, वे सभी श्रेणी रहित 'जनता' गाड़ियां होंगी। इन जनता गाड़ियां में यात्री सुविधा के रूप में पुस्तकालयों की व्यवस्था की जायगी जिनमें पुस्तके और पत्रिकायें सुलभ होंगी। इस के अतिरिक्त मैंने यह भी निदेश दिया है कि जहां कहीं व्यावहारिक हो, बिजली द्वारा चलने वाली महत्वपुर्ण गाड़ियों में डिब्बों की संख्या 18 से बढ़ाकर 20 कर दी जाय, ताकि भीड़ भाड़ कुछ हद तक कम की जा सके।

14. दूसरे दर्जे के यात्रियों के लिये बुनियादि सुविधाओं की व्यवस्था करने के उद्देश्य से मैंने हिदायत दी है कि दूसरे दर्जे का एक ऐसा फ़ोटोटाइप सवारी डिब्बा बनाया जाय जिसमें अधिक शौचालयों की व्यवस्था हो और पानी की सप्लाई का पहले से बेहतर प्रबन्ध हो ताकि लम्बी दूरी के यात्रियों को विशेष रूप से उन गाड़ियों के यात्रियों को जो बहुत कम स्टेशनों पर ठहरती हैं, इन सुविधाओं के अभाव में कोई कष्ट न हो। इस प्रोटोटाइप सवारी डिब्बे के बन जाने और इसका सन्तोषजनक ढंग से परीक्षण हो जाने के बाद इसे यात्रियों के लिये चलाने के संबंध में यथासम्भव शीघ्र कार्यवाही की जायेगी। इस बीच स्टेशनों पर और गाड़ियों में, खासतौर पर गर्मी के वर्तमान भीड़ वाले दिनों में, पेय जल की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये समुचित उपाय किये गये हैं। लम्बी दूरी की कुछ गाड़ियों के दूसरे दर्जे के शयन यानों में पैड वाली कुछ ऐसी गद्दीदार शायिकाओं की व्यवस्था करने के संबंध में भी मैं विचार कर कर रहा हूं जिन पर बहुत अधिक खर्च न आय, ताकि सामान्य व्यक्ति अपने साथ बिस्तर लिये बिना यात्रा कर सके।

15. दूसरे दर्जे के यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से रेल प्रशासनों को हिदायत दी गयी है कि वे योजनाबद्ध आधार पर स्टशन प्रांगणों में प्रसाधन कक्षों और बैंचों की व्यवस्था करें और इस तरह दूसरे दर्जे के यात्रियों को बहतर सुविधायें प्रदान करें। इसी प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था तमाम नये स्टेशनों पर अथवा उन वर्तमान स्टेशनों पर की जायगी जिनके ढांचे में परिर्वतन किया जा रहा होगा।

16. यात्री अपेक्षाकृत अधिक आराम से यात्रा कर सके, इस के लिये पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि वे आरक्षित स्थान के लिये टिकट खरीद सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये मैं भरसक प्रयत्न करुंगा कि बुकिंग और आरक्षण कार्यालयों में तथा माल डिब्बे आंबटित करने के मामले में बुराईयों को एकदम खत्म कर दिया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिये मैंने सतर्कता विभाग द्वारा आकस्मिक जांच शुरु करायी है कि असामाजिक तत्वों, अनधिकृत व्यक्तियों और रेलवे क बुकिंग कर्माचारियों के बीच किसी प्रकार की कोई साठ गांठ न हो।

रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन

15. अन्तरिम बजट पर बहस के दौरान मैंने माननीय सद यों को आ वासन दिया था कि रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन के प्रश्न पर जो कि चिरकाल से अनिर्णीत पड़ा है शीघ्र ही विचार किया

जायेगा । इस प्रश्न पर मैंने सावधानीपूर्वक विचार किया है और अतीत में इस सम्बन्ध में विभिन्न समितियों द्वारा दी गयी रिपोर्टों का अध्ययन भी किया है । इस सम्बन्ध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा तैयार की गयी थी जो श्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में बना था । इस रिपोर्ट में इन दोनों बातों पर विचार किया गया है कि रेलवे बोर्ड के कार्य-कलाप क्या है और उसका संगठनात्मक ढांचा किस प्रकार का हो । जहां तक रेलवे बोर्ड अधिनियमद्व 1905 द्वारा शासित रेलवे बोर्ड के कार्य-कलाप का सम्बन्ध है, रेलें भारत सरकार के विभागीय उद्यम के रूप में काम करती है जबकि रेलवे बोर्ड रेल मंत्री के नियन्त्रण में काम करता है । भारतीय रेल जैसे विशाल सगठन के लिए, जिसका जन-जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, प्रशसनिक सुधा आयोग ने यह सुझाव दिया था कि निम्मतर स्तर के अधिकारियों को और अधिक अधिकार दिये जायें जबकि नीति विषयक फैसले रेल मन्त्री के स्तर पर किये जायें। रेलवे बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग ने कुछ बहुमल्य सिफारिशें की है । यह घोषणा करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को, जिन पर पिछली सरकारों ने इतने लम्बे अर्से तक कोई कार्रवाई नहीं की, हमने मोटे तौर पर स्वीकार कर लिया और उन्हें शीघ्र ही कार्यान्वित किया जायेगा । मैंने कुछ अनावश्यक समितियों को तोड़ देने का भी विनिश्चय किया है क्योंकि ये समितियां अधिकार के गैर-सरकारी केन्द्र तथा राजनीतिक गतिवधियों का अखाड़ा बन गयी थीं ।

18. रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने और पदोन्नति की सारणियों में सुधार करके कर्मचारियों में सन्तोष की भावना पैदा करने के लिए मैंने यह फैसला किया है कि ऐसे मामलों को छोड़कर जहां योग्य व्यक्ति उपलब्ध न हों, किसी भी रेल कर्मचारी की सेवा अवधि उसकी अधिवर्षिता की आयु के बाद बढ़ायी नहीं जायेगी और यह सद्धांत रेलवे बोर्ड से लेकर रेल कर्मचारियों के निम्नतम स्तर पर सब पर लाग होगा । उन सभी मामलों पर भी मैं पुर्नविचार कर रहा हू जहांअधिवर्षिता की तारीख से बहुत पहले सेवा अवधि बढ़ाने की अनुमति दे दी गयी है ।

भारतीय रेल अधिनियम, 1890 में संशोधन

19. यह भारतीय रेल अधिनियम ही है जो विभिन्न रेल प्रशासनों की गतिविधियों को लोक-वाहन के रूप में विनियमित करता है । माननीय ससद् सदस्यों ने बहुधा यह राय व्यक्त की है कि हम अभी भी रेल अधिनियम, 1890 का पालन कर रहे है । अतः इसमें समुचित संशोधन कियाजाना चाहिए और स्वतन्त्र भारत में जिन बदली हुई परिस्थितियों में भारतीय रेलों को काम करना पड़ता है, उन्हें ध्यान में रखते हुए ससद के समक्ष नया प्रारूप प्रस्तुत किया जाना चाहिए । मुझे सदन को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि विधि मत्रालय के विधायी विभाग के साथ किये गये विचार-विमर्श के आधार पर इसका दूसरा प्रारूप तैयार कर लिया गया है और विधि मंत्रालय के विधि कार्य विभाग के साथ इस पर विचार-विमर्श किया जा रहा है । आशा है कि वित्तीय वर्ष के अन्त तक मैं अन्तिम रूप से बनाया गया प्रारूप सदन के समक्ष प्रस्तुत कर सकूगा ।

रेलों पर दावों के निपटारे की प्रणाली को सुगम और सरल बनाना

20. व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों एंव सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ भी मेरी बैठकें हुई थीं । इन बैठकों में, दावों के मामलों के निपटारे में अनुचित विलम्ब की आलोचना की गयी थी । अतः मैंने विनिश्चय किया है कि दावों के निपटारे की प्रणाली को सुगम और सरल

बनाने की व्यवस्था की जाये ताकि इस दिशा में गुणात्मक सुधार किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि दावों का निपटारा वाजिब समय के भीतर होता है । आम तौर पर यह समय 6 सप्ताह से अधिक नहीं होना चाहिए। इस अभिप्राय से मैंने यह फैसला किया है कि दावों के निपटारे के लिए अधिकारियों तथा क्षेत्र पर्यवेक्षी कर्मचारियों को और अधिक अधिकार दिये जायें । चलते-फिरते दावा कार्यालयों के माध्यम से दावों के निपटारे की पद्धति का भी विकास किया जायेगा । प्रत्येक दावा कार्यालय में सूचना केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। इन सूचना केन्द्रों में, किये गये दावों के बारे में सूचना उपलब्ध होगी और बुक किये गये भेजे गये प्रेषण यदि मुनासिब समय के भीतर प्राप्त नहीं हुए होंगे तो उनके बारे में पूछताछ की जा सकेगी ।

प्रबन्ध व्यवस्था में श्रमिकों की भागीदारी

21. अपने अन्तरिम बजट भाषण में मैंने प्रबन्ध व्यवस्था में श्रमिकों की भागीदारी का उल्लेख किया था। केन्द्रीय स्तर पर इस समय एक समवेत उद्यम दल का गठन किया गया है जिसमें दोनों रेलवेमेन्स फैडरेशनों के तीन-तीन प्रतिनिधि, रेलवे आफिसर्स फेडरेशन का एक प्रतिनिधि तथा सरकार की ओर से रेलवे बोर्ड के सदस्य और अपर सदस्य एवं सचिव, रेलवे बोर्ड शामिल है । इस दल का काम मुख्यत: रेलों के कार्य-कलाप का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से कुछ मामलों पर विचार-विमर्श करना और रेलों की अर्थक्षमता को सुधारने के उपाय सुझाना है ।

22. अब क्षेत्रीय स्तर पर भी क्षेत्रीय समवेत उद्यम दलों की स्थापना करने का प्रस्ताव है जिनमें रेल कर्मचारियों को दोनों मान्यताप्राप्त फेडरेशनों से सम्बद्ध यूनियनों के तीन-तीन प्रतिनिधि और रेलवे आफिसर्स फेडरेशन से सम्बद्ध यूनियनों का एक एक प्रतिनिधि शामिल होगा । सरकार की ओर से महाप्रबन्धक तथा विभागाध्यक्ष इनके सदस्य होंगे । क्षेत्रीय समवेत उद्यम दल रेल प्रणाली के कार्य-संचालन में सुधार से सम्बन्धित मामलों पर विचार करेगा और कार्यकुशलता तथा अर्थक्षमता में सुधार लाने के लिए उपयुक्त परिवर्तनों की सिफारिश करेगा ।

23. रेल व्यवस्था में श्रमिकों की भागीदारी के एक और उपाय के रूप में, प्रत्येक प्रमुख कारखाने में एक संयुक्त परिषद् और यथेष्ट संख्या में शाप परिषदों की स्थापना करने का प्रस्ताव है । इन संयुक्त परिषदों और शाप परिषदों में श्रमिकों तथा प्रशासन के बराबर बराबर प्रतिनिधि होंगे । श्रमिकों के प्रतिनिधि मान्यताप्राप्त यूनियनों द्वारा मनोनीत किये जायेंगे ।

तदर्थ नियुक्तियां

24. पिछले तीन वर्षों के दौरान श्रेणी III और श्रेणी IV में तदर्थ आधार पर की गयी कुछ नियुक्तियों के बारे में शिकायतें मिली है । मैंने यह विनिश्चय किया है कि श्रेणी III में तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये ऐसे व्यक्तियों के मामले रेल सेवा आयोग को भेज दिये जायें जो अन्य उम्मीदवारों के साथ-साथ इन लोगों के मामलों पर भी विचार करेगा । जहां तक श्रेणी IV में तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों का सम्बन्ध है, उनकी जांच अन्य व्यक्तियों के साथ-साज रेलों पर स्थापित सामान्य जांच तन्त्र द्वारा की जायेगी ।

कर्मचारियों की मांगें

25. मैं रेल कर्मचारियों के मांग-पत्र से अवगत हूं । जिन लोगों ने यह मांग-पत्र बनाया था, उन्होंने यह साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया था कि ये मांगें बातचीत द्वारा तय की जा सकती हैं ।

कुछ मांगें ऐसी हैं जिनके बारे में समूची नीति का पुनरीक्षण अपेक्षित है तथा उपलब्ध वित्तीय साधनों को दृष्टि में रखते हुए पूरी भारत सरकार को निर्णय लेना है। ऐसी विस्तृत पुनरीक्षा करने के बाद ही मैं रेलों की मान्यताप्राप्त ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के सहयोग और परामर्श से रेल कर्मचारियों की मांगों पर विचार कर पाऊंगा। मुझे विश्वास है कि रेल कर्मचारियों की मांगों के प्रति हमारे न्यायपूर्ण रुख को देखते हुए रेल कर्मचारी, राष्ट्र के व्यापक हित में, अपनी कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय देंगे।

इमर्जेन्सी के दौरान उत्पीड़न

26. इमर्जेन्सी के दौरान उत्पीड़न के सम्बन्ध में रेल कर्मचारियों की जायज़ मांग के बारे में मैं यह स्पष्ट घोषणा करना चाहूंगा कि मीसा या भारत रक्षा नियमों के अधीन पकड़े जाने अथवा ऐसे संगठनों से सम्बद्ध होने के कारण जिन पर इमर्जेन्सी के दौरान प्रतिबन्ध लगा दिया गया था या जो तत्कालीन सरकार की इच्छा के अनुकूल नहीं चलते थे, जिन रेल कर्मचारियों को इमर्जेन्सी के दौरान निलम्बित गया था या बरखास्त कर दिया गया था या समय से पहले सेवा-निवृत्त कर दिया गया था, उन्हें बहाल कर दिया जायेगा।

इमर्जेन्सी के दौरान रेलवे अनुशासन और अपील नियमों के नियम 14(2) के अन्तर्गत जिन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गयी थी, उनके मामलों की भी पुनरीक्षा की जायेगी और जहां कहीं भी यह पाया जायेगा कि कोई विशेष कार्रवाई केवल राजनीतिक आधार पर की गयी थी, तो उसे रद्द कर दिया जायेगा।

27. रेलों की विभिन्न विकासात्मक और आधुनिकीकरण योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए रेलवे को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बने रहना होगा और इस दिशा में 1977-78 में सम्भावित अधिशेष के बावजूद हमें अभी काफी कुछ करना बाकी है। हमें इस उद्देश्य में तभी सफलता मिल सकती है जब हम पिछले वर्षों में इकट्ठे हुए सामान्य राजस्व के लगभग 440 करोड़ रुपये के कर्ज को धीरे धीरे चुका दें। लोक लेखा समिति की सिफारिश के अनुसार जल्दी ही एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त को जायगी जो रेल किराया और भाड़ा संरचना की व्यापक समीक्षा करेगी।

28. मुझे पूरा विश्वास है कि रेलों को एक सेवा-परक और उत्पादक संगठन बनाने में मुझे सभी सम्मानित सदस्यों, जनता और श्रमिक संगठनों का सहयोग प्राप्त होगा। मैं रेल कर्मचारियों को विशेष रुप से धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी योग्यता से जनता की सेवा करने के उद्देश्य से रेल के पहिये को तेज रफ्तार से चलाये रखने में पहले से अधिक दिलचस्पी दिखलायी है।

अध्यक्ष महोदय : : अब सभा सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 13 जून, 1977/ज्येष्ठ 23, 1899 (शक) के ग्यारह बजे तक स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, June 13, 1977/ Jaishtha 23, 1899 (Saka)